

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

रेफरेन्स संख्या
17/03/2023

रजिस्टर्ड नंबर
2023/326

प्रवेश तिथि
19.06.2023

निर्णय दिनांक
24.03.2026

1-तहसीलदार, राजगढ़ जिला अलवर राज०।

-प्रार्थी

बनाम

1-नगरपालिका राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला अलवर जयें अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज०।

-अप्रार्थी



रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 सपठित धारा 232 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:-

1. राजकीय अभिभाषक

- वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

तहसीलदार राजगढ़ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश किया है। रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील/सूचना अनुपस्थित।

प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान में दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर 2583 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2584 मिन रकबा 2 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2724 मिन रकबा 06 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2730 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2718 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन जोहड), खसरा नम्बर 2714 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2715 मिन रकबा 09 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2716 मिन रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 2663 मिन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 2686 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2727 मिन रकबा 13 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2730 मिन रकबा 5 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2735 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2732 मिन रकबा 7 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2754 मिन रकबा 12 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2729 मिन रकबा 2 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2734 मिन रकबा 7 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2735 मिन रकबा 7 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2738 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2739 मिन रकबा 11 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2741 मिन रकबा 19 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन रास्ता), 2744 मिन रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन पहाड), 2740 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2754 रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2748 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2749 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी) व 2729 मिन रकबा 7 बिस्वा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नम्बर 4541 रकबा 0.39 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4550 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन राडा), खसरा नम्बर 4552 रकबा 0.05 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन राडा), खसरा नम्बर 4558 रकबा 0.04 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4559 रकबा 0.24 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4571 रकबा 0.05 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4572 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4573 रकबा 0.08 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 454 रकबा 0.10 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4582 रकबा 0.02 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4583 रकबा 0.01 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4635/4515 रकबा 0.0136 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4636/4515 रकबा 0.0114 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4637/4515 रकबा 0.0650 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4638/4417 रकबा 0.0112 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला) व खसरा नम्बर 4639/4417 रकबा 0.9188 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला) कायम हुए।

प्रार्थी द्वारा अनेको बार अप्रार्थी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज दर्ज हुए अप्रार्थी के नाम को दुरुस्त कराने की बाबत अनेको बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अपने नाम के अंकन को दुरुस्त कराने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत नदी नाला / प्रतिबन्धित किस्म की भूमि की बाबत किसी भी दीगर व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित/अन्तरित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि की बाबत किसी दीगर व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है।

अतः रैफरेन्स आवेदन माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान में दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर 2583 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2584 मिन रकबा 2 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2724 मिन रकबा 06 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2730 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2718 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन जोहड), खसरा नम्बर 2714 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2715 मिन रकबा 09 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), खसरा नम्बर 2716 मिन रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 2663 मिन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 2686 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2727 मिन रकबा 13 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2730 मिन रकबा 5 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2735 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2732 मिन रकबा 7 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब), खसरा नम्बर 2754 मिन रकबा 12 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2729 मिन रकबा 2 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2734 मिन रकबा 7 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2735 मिन रकबा 7 गैर मुमकिन नाला), 2739 मिन रकबा 11 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2741 मिन रकबा 19 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन रास्ता), 2744 मिन रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन पहाड), 2740 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2754 रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2748 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी), 2749 मिन रकबा 02 बिस्वा (किस्म मटियार बारानी) व 2729 मिन रकबा 7 बिस्वा रकबा 02 बिस्वा (किस्म बंजड दरीब) हाल आराजी खसरा नम्बर 4418 रकबा 0.26 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4230 रकबा 0.89 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन राडा), खसरा नम्बर 4367 रकबा 0.02 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4387 रकबा 0.17 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन पाल),

खसरा नम्बर 4388 रकबा 0.24 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन बिस्वा (किस्म गैर मुमकिन नाला), 2738 मिन रकबा 1 बिस्वा (किस्म जोहड़), खसरा नम्बर 4416 रकबा 0.01 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4418 रकबा 0.26 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4522 रकबा 0.04 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4419 रकबा 0.78 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4473 रकबा 0.29 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4512 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन राडा), खसरा नम्बर 4558 रकबा 0.04 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4559 रकबा 0.24 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4541 रकबा 0.39 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4550 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन राडा), खसरा नम्बर 4552 रकबा 0.05 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन खसरा नम्बर 4571 रकबा 0.05 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4572 रकबा 0.07 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4573 रकबा 0.08 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 454 रकबा 0.10 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4582 रकबा 0.02 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4583 रकबा 0.01 हैक्टेयर (किस्म तालाबी प्रथम), खसरा नम्बर 4635/4515 रकबा 0.0136 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4636/4515 रकबा 0.0114 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4637/4515 रकबा 0.0650 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला), खसरा नम्बर 4638/4417 रकबा 0.0112 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला) व खसरा नम्बर 4639/4417 रकबा 0.9188 हैक्टेयर (किस्म गैर मुमकिन नाला) वाकै ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान को राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाएं जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद विधिवत तामील/सूचना अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की विस्तृत बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में स्थित विवादित आराजीयात हाल आराजी खसरा नम्बर 4418 (रकबा 0.26 है.), 4230 (रकबा 0.89 है.), 4367 (रकबा 0.02 है.), 4387 (रकबा 0.17 है.), 4388 (रकबा 0.24 है.), 4416 (रकबा 0.01 है.), 4419 (रकबा 0.78 है.), 4473 (रकबा 0.29 है.), 4512 (रकबा 0.07 है.), 4522 (रकबा 0.04 है.), 4525 (रकबा 0.07 है.), 4541 (रकबा 0.39 है.), 4550 (रकबा 0.07 है.), 4552 (रकबा 0.05 है.), 4558 (रकबा 0.04 है.), 4559 (रकबा 0.24 है.), 4571 (रकबा 0.05 है.), 4572 (रकबा 0.07 है.), 4573 (रकबा 0.08 है.), 454 (रकबा 0.10 है.), 4582 (रकबा 0.02 है.), 4583 (रकबा 0.01 है.), 4635/4515 (रकबा 0.0136 है.), 4636/4515 (रकबा 0.0114 है.), 4637/4515 (रकबा 0.0650 है.), 4638/4417 (रकबा 0.0112 है.) व 4639/4417 (रकबा 0.9188 है.) मूल रूप से जमाबन्दी सम्वत 2011 में मटियार बरानी, गैर मुमकिन जोहड़, गैर मुमकिन नाला, गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन रास्ता व बंजड़ दरीब आदि प्रतिबंधित व सार्वजनिक उपयोग की किस्मों के रूप में दर्ज थी।

बन्दोबस्त और नई जमाबंदियों सम्वत 2037-2040, 2046-65 तथा हाल जमाबन्दी सम्वत 2071-2075 में उक्त आराजीयात के नए खसरा नंबर कायम हुए, लेकिन भूमि की मूल किस्म गैर मुमकिन नाला, राडा, पाल, जोहड़, पहाड़, तालाबी प्रथम आदि यथावत रही। प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत आती है, जिसके अनुसार नदी, नाला, जोहड़, पहाड़ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग प्रतिबंधित किस्म की भूमि पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। वर्तमान में यह भूमि त्रुटिवश अप्रार्थी नगरपालिका राजगढ़ के नाम दर्ज हो गई है, जिसे दुरुस्त कराने से अप्रार्थी ने इंकार कर दिया है। अतः इसे पुनः राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदियों की प्रतिलिपियों तथा विद्वान राजकीय अभिभाषक के तर्कों का गहराई से अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर

उपलब्ध सम्वत 2011 से लेकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071-2075 के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नम्बर 4418, 4230, 4367, 4387, 4388, 4416, 4419, 4473, 4512, 4522, 4525, 4541, 4550, 4552, 4558, 4559, 4571, 4572, 4573, 454, 4582, 4583, 4635/4515, 4636/4515, 4637/4515, 4638/4417 व 4639/4417 आदि गैर मुमकिन नाला, जोहड़, राड़ा, पाल, तालाबी प्रथम और पहाड़ की किस्म की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 18 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि जोहड़, नदी, नाले, तालाब के पेटे या जनसाधारण के उपयोग की भूमि पर किसी भी परिस्थिति में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ऐसी भूमि को न तो किसी को आवंटित किया जा सकता है और न ही हस्तांतरित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भी जलभराव एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के संरक्षण हेतु समय-समय पर सख्त दिशा-निर्देश (जैसे अब्दुल रहमान बनाम राज्य आदि प्रकरणों में) पारित किए गए हैं।

चूंकि उक्त भूमि जनोपयोगी और प्रतिबंधित किस्म की है, अतः इसे अप्रार्थी नगरपालिका राजगढ़, अलवर के नाम खातेदारी में दर्ज रखना पूर्णतः अवैधानिक और विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अप्रार्थी इस प्रविष्टि के समर्थन में कोई भी साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर की वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हाल आराजी खसरा नम्बर 4418 (रकबा 0.26 है.), 4230 (रकबा 0.89 है.), 4367 (रकबा 0.02 है.), 4387 (रकबा 0.17 है.), 4388 (रकबा 0.24 है.), 4416 (रकबा 0.01 है.), 4419 (रकबा 0.78 है.), 4473 (रकबा 0.29 है.), 4512 (रकबा 0.07 है.), 4522 (रकबा 0.04 है.), 4525 (रकबा 0.07 है.), 4541 (रकबा 0.39 है.), 4550 (रकबा 0.07 है.), 4552 (रकबा 0.05 है.), 4558 (रकबा 0.04 है.), 4559 (रकबा 0.24 है.), 4571 (रकबा 0.05 है.), 4572 (रकबा 0.07 है.), 4573 (रकबा 0.08 है.), 454 (रकबा 0.10 है.), 4582 (रकबा 0.02 है.), 4583 (रकबा 0.01 है.), 4635/4515 (रकबा 0.0136 है.), 4636/4515 (रकबा 0.0114 है.), 4637/4515 (रकबा 0.0650 है.), 4638/4417 (रकबा 0.0112 है.) व 4639/4417 (रकबा 0.9188 है.) के राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी "नगरपालिका राजगढ़" का नाम कलमजन किया जाकर उक्त समस्त भूमि को उसके मूल स्वरूप के अनुसार पुनः "राज्य सरकार" के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की अभिशाषा के साथ प्रकरण माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज०)

